न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व मूल वाद संख्या :–25/2017, एन.सी.वी. नम्बर :–2011/00148
वादिनीः–

श्रीमती गंगा पत्नी स्व. श्री बाबुलाल सोलंकी, जाति–माली, उम्र– 76 वर्ष, निवासी– मकान संख्या 1–छ–08, प्रतापनगर हाऊसिंग बोर्ड, प्रतापनगर जोधपुर। हिस्सा खरीददार श्रीमती मधु पत्नी श्री श्यामलाल व पुत्री श्री कानाराम जाति–माली, निवासी– जालोरियो का बास, नागौरी गेट के अंदर, जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. ज्ञानसिंह पुत्र श्री कानाराम, जाति–माली, निवासी– कालुराम की बावड़ी गहलोत पेन्ट्रोल पम्प, सूरसागर जोधपुर।
2. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री कैलाश जी,
3. विजय (नाबालिग) पुत्र श्री कैलाश जी,
4. करण (नाबालिग) पुत्र श्री कैलाश जी,
   प्रतिवादी संख्या 3 व 4 नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षणकर्ता माता प्रतिवादी संख्या 02 श्रीमती सुनीता पत्नी श्री कैलाश जी, तीनो जाति माली, निवासी– व्यास बाग सूरसागर जोधपुर।
5. श्रीमती निर्मला पुत्री श्री कानाराम व पत्नी श्री हुकमाराम, जाति–माली, निवासी– मन्ना की बाड़ी सूरसागर जोधपुर।
6. श्रीमती सुमित्रा पुत्री श्री कानाराम व पत्नी श्री लक्ष्मणसिंह, जाति–माली, निवासी– सुभाष चौक, सूरसागर जोधपुर।
7. श्रीमती रूकमणी पत्नी श्री देवीलाल,
8. वीरेन्द्र सोलंकी पुत्र श्री देवीलाल,
9. नरेश कुमार पुत्र श्री देवीलाल,
   तीनो जाति–माली, निवासी– व्यास बाग सूरसागर, जोधपुर।
10. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री खिवंराज, जाति–माली, निवासी– सूरज बेरा, सूरसागर जोधपुर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांकः–** 11-1-2021

उपस्थितिः– श्री चेतनप्रकाश सोनी अधिवक्ता वादिनी,
श्री प्रवीण कुमार सोलंकी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वादिनी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद में दोनो पक्षकारान् की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि कि खसरा नम्बर 607 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 608 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 609 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ग्राम बागा, तहसील व जिला जोधपुर आई हुई है, पक्षकारान् के पूर्वज स्व. कानारामजी व स्व. देवीलालजी ने अपने जीवन काल मे ही उक्त वादग्रस्त खसरो की कृषि भूमि बाबत जुबानी बंटवाडा कर अपने–अपने हक हिस्सों की भूमि पर काबिज हो गये थे। उक्त हो चूके बंटवाडे बाबत् राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज होना शेष रह गया था। जिसके लिए आपसी सहमति से खातेदारान् के वारिसान ने वांछित दस्तावेजात तैयार कर निष्पादित किया था जो प्रदर्श–1ए है। तथा जिसमें पक्षकारान् ने अपनी–अपनी सहमति के हस्ताक्षर भी कर दिये है। उपरोक्त तमाम वास्तविक वास्तु स्थिति बाबत् रेकर्ड पर लेश मात्र भी विवाद नही है, उसका बकायदा अमल दरामद हो गया था। केवल मात्र राजस्व रेकर्ड दुरस्त होना शेष बचा है। उक्त जुबानी बंटवाडा अनुसार खसरा न. 608 रकबा 2 बीघा व 03 बिस्वा एवं खसरा न. 607 की 03 बिस्वा अर्थात् दोनो खसरो की कुल भूमि 2 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि कानारामजी के 1/2 हिस्से मे रही थी। और वर्तमान मे उपरोक्त खसरान् की भूमि पर वादीनी गंगादेवी, प्रतिवादीनी संख्या 02 सुनिता, प्रतिवादी संख्या 03 विजय व प्रतिवादी संख्या 04 कर्ण (नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुनिता) एवं प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान् प्रतिवादी संख्या 1/1 नरेन्द्र सोंलकी, प्रतिवादी संख्या 1/2 प्रदीप सोलंकी काबिज होकर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)

उपयोग–उपभोग करते चले रहे है। स्व. कानारामजी के 1/2 हिस्से मे प्रतिवादी संख्या 1/1 नरेन्द्र सोलंकी एवं प्रतिवादी संख्या 1/2 प्रदीप सोंलकी का 1/6 (16.666%) हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 02 से 04, श्रीमती सुनिता, विजय एवं कर्ण का स्व. कानारामजी के 1/2 हिस्से मे 1/6 (16.666%) हिस्सा है। [मधु 1/6 (16.666%) हिस्सा, निर्मला 1/6 (16.666%) हिस्सा, सुमित्रा 1/6 (16.666%) हिस्सा एवं गीतादेवी 1/6 (16.666%) हिस्सा] से खरीद सुदा कानारामजी के 1/2 हिस्सा मे श्रीमती गंगादेवी बेवा बाबुलाल सोलंकी का 4/6 (66.666%) हिस्सा है–

स्व. कानारामजी के 1/2 हिस्से मे आयी कृषि भूमि का विवरण					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा			खतेदारान् का नाम
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांशी	
01.	608	02	03	00	
02.	607	00	03	00	
कुल दो खसरान् का कुल रकबा		02	06	00	नरेन्द्र, प्रदीप पि. ज्ञानसिंह 1/6, सुनिता बेवा कैलाश विजय, कर्ण पि. कैलाश 1/6, श्रीमती गंगादेवी बेवा बाबुलाल जी सोलंकी 4/6

इसी प्रकार उक्त जुबानी बंटवाडा अनुसार खसरा न. 609 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा न. 607 की शेष 10 बिस्वा अर्थात् दोनो खसरो की कुल भूमि रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि देवीलालजी के 1/2 हिस्से मे रही थी। और वर्तमान मे उपरोक्त खसरान् की भूमि पर पक्षकारान् देवीलाल के वारिसान् श्रीमती रूकमणी, विरेन्द्र सोलंकी एवं नरेश कुमार सोलंकी वास्तविक रूप से काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले रहे है–

स्व. देवीलालजी के 1/2 हिस्से मे आयी कृषि भूमि का विवरण					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा			खतेदारान् का नाम
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांशी	
01.	609	01	15	00	
02.	607	00	10	00	
कुल दो खसरान् का कुल रकबा		02	05	00	रूकमणी बेवा देवीलालजी, विरेन्द्र सोलंकी, नरेश कुमार सोलंकी पि. देवीलालजी

उपरोक्त पद संख्या 3 एवं 4 अनुसार उपरोक्त बंटवाडा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का आदेश सादिर फरमाया जावे। अन्त में यह राजीनामा पेश कर पक्षकारान् की ओर से निवेदन किया कि उक्त राजीनामे अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावे और इस राजीनामे का डिक्री का अंग शुमार किया जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे। अन्य आदेश जो पक्षकारान् के हित कर हो सादिर फरमाया जावे।

उपरोक्त प्रकरण में दोनो पक्षकारान् की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया गया है। ऐसी अवस्था में दोनो पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाता है। अतः उपरोक्त राजीनामा अनुसार वादिनी का वाद डिक्री किया जाता है। तहसीलदार जोधपुर को उक्त राजीनामा अनुसार बंटवाड़ा राजस्व रेकर्ड में किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 11/1/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत *न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर* मुकाम जोधपुर व इजलास *हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)*

वादिनीः–

श्रीमती गंगा पत्नी स्व. श्री बाबुलाल सोलंकी, जाति–माली, उम्र– 76 वर्ष, निवासी– मकान संख्या 1–छ–08, प्रतापनगर हाऊसिंग बोर्ड, प्रतापनगर जोधपुर। हिस्सा खरीददार श्रीमती मधु पत्नी श्री श्यामलाल व पुत्री श्री कानाराम जाति–माली, निवासी– जालोरियो का बारा, नागौरी गेट के अंदर, जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. ज्ञानसिंह पुत्र श्री कानाराम, जाति–माली, निवासी– कालुराम की बावड़ी गहलोत पेन्ट्रोल पम्प, सूरसागर जोधपुर।
2. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री कैलाश जी,
3. विजय (नाबालिग) पुत्र श्री कैलाश जी,
4. करण (नाबालिग) पुत्र श्री कैलाश जी,
   प्रतिवादी संख्या 3 व 4 नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षणकर्ता माता प्रतिवादी संख्या 02 श्रीमती सुनीता पत्नी श्री कैलाश जी, तीनो जाति माली, निवासी– व्यास बाग सूरसागर जोधपुर।
5. श्रीमती निर्मला पुत्री श्री कानाराम व पत्नी श्री हुकमाराम, जाति–माली, निवासी– मन्ना की बाड़ी सूरसागर जोधपुर।
6. श्रीमती सुमित्रा पुत्री श्री कानाराम व पत्नी श्री लक्ष्मणसिंह, जाति–माली, निवासी– सुभाष चौक, सूरसागर जोधपुर।
7. श्रीमती रूकमणी पत्नी श्री देवीलाल,
8. वीरेन्द्र सोलंकी पुत्र श्री देवीलाल,
9. नरेश कुमार पुत्र श्री देवीलाल,
   तीनो जाति–माली, निवासी– व्यास बाग सूरसागर, जोधपुर।
10. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री खिवंराज, जाति–माली, निवासी– सूरज बेरा, सूरसागर जोधपुर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

दावा बाबत् 53, 188 आर.टी.एक्ट.में मुकदमा नम्बर 25/2017 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू हमारे वादीगण अधिवक्ता श्री चेतनप्रकाश सोनी व श्री प्रवीण कुमार सोलंकी अधिवक्ता प्रतिवादीगण हजारी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः–

अतः उपरोक्त राजीनामा अनुसार वादिनी का वाद डिक्री किया जाता है। तहसीलदार जोधपुर को उक्त राजीनामा अनुसार बंटवाड़ा राजस्व रेकर्ड में किये जाने के आदेश दिये जाते है।

लीज....x......मुबलिक......x.....बाबत्.....x....खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरह.........x....की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......x........को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत आज तारीख 11-1-2021 की जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प जारी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा अहवान् बाबत् इजराय हुक्मनामा मतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकिल फीस कमिश्नर बायत् इजराय हुक्मनामा मतफरिक		

नोट– इस खर्च के फार्म हर दो फरीकेन या वाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)